

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,  
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2014

विषय: जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.कार्यान्वयन के अन्तर्गत जनपद अमेठी की नगर पंचायत अमेठी पेयजल पुनर्गठन परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या:5184/नौ-5-2014-189बजट/2013 दिनांक 27.10.2014 के लेखा शीर्षक में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 5184/नौ-5-2014-189बजट/2013 दिनांक 27.10.2014 के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या-8/3342-2170/जे.एन.एन.यू.आर.एम./2014-15 दिनांक 08.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के अन्तर्गत जनपद अमेठी की नगर पंचायत अमेठी की पेयजल पुनर्गठन परियोजना की वित्तीय स्वीकृति विषयक सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.10.2014 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित लेखा शीर्षक (निम्न तालिका का कालम-1) के स्थान पर निम्न तालिका के कालम-2 के अनुसार पढा जाय:-

कालम-1	कालम-2
उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80/रा.10-के.+रा.)-35-पूर्णांगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।	उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-03-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80/रा.10-के.+रा.)-35-पूर्णांगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

2- उक्त शासनादेश: 5184/नौ-5-2014-189बजट/2013 दिनांक 27.10.2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

( उमाशंकर सिंह )  
उप सचिव।

संख्या-6419ए(1)/नौ-5-14-189बजट/2013 , तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/अमेठी
4. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, अमेठी, जनपद अमेठी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( उमाशंकर सिंह )  
उप सचिव।